तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष द्वारा प्रा॰पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा॰पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ग्राम झूपडीम तह॰ बांदीकुई के ख॰नं॰ 1223, 1150, 1224 में मूलवाद रघुवीर बनाम धम्मल वगै॰ (मु॰नं॰ 17/24) का निर्णय होने तक मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रकरण का विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर मूलवाद के हमशामिल हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 13/10/25 को आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] 13/10/25

न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट महोदय, बांन्दीकुई
मु0न0 151/2018
दर्ज दिनांक 14.08.2018
निर्णय दिनांक 13.10.2025

उनवान

1. रघुवीर पुत्र रामजीलाल
2. राधामोहन पुत्र रामेश्वर
3. श्री गोपाल पुत्र रामेश्वर
4. मगन सिंह पिसरान कन्हैयालाल
5. गजानन्द पुत्र कन्हैयालाल
6. मोहरसिंह पुत्र श्योदान
7. हरज्ञान पुत्र श्योदान
8. गिर्राज पुत्र रामरतन

समस्त जाति गुर्जर निवासी बासडा तहसील बसवा जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. भम्बल पुत्र बीरबल जाति गुर्जर निवासी बासडा तहसील बसवा जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह. बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं धारा 151 दीवानी प्रकिया संहिता)

निर्णय

दिनांक 13.10.2025

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 एवं धारा 151 दीवानी प्रकिया संहिता का जर्ये एडवोकेट श्री वीरेन्द्र सिंह कुशवाह के पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः—प्रार्थीगण ने आज ही अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक दावा दुवागाना सम्पुष्ट आधारों पर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि साबिका ख.नं. 557/1 (पाँच सौ सत्तावन बटा एक) रकबा 27 (सत्ताईस) बीघा 19 (उन्नीस) बिस्वा, ख.नं. 557/2 (पाँच सौ सत्तावन बटा दो) रकबा 4 (चार) बीघा 16 (सोलह) बिस्वा कुल रकबा 32 बीघा 15 बिस्वा स्थित रामा मौजा झोंपडीन तहसील बसवा जिला दौसा है। प्रार्थीगण की साबिक खातेदारी भूमि के पूर्व की ओर आर—पार अप्रार्थी सं. 01 (एक) की साबिक ख.नं. 574/1 (पाँच सौ चौहेत्तर बटा एक), 574/2 (पाँच सौ चौहेत्तर बटा दो) स्थित रही है, प्रार्थीगण की आराजियात के नवीन सेटलमेन्ट ख.नं. 1002 (एक हजार दो) रकबा 0.84 (पाईन्ट चौरासी) हैक्टे, ख.नं. 1003 (एक हजार तीन) रकबा 0.32 (पाईन्ट बत्तीस) हैक्टे., ख.नं. 1004 (एक हजार चार) रकबा 0.31 (पाईन्ट इकतीस) हैक्टे., ख.नं. 1138 (एक हजार एक सौ अडतीस) रकबा 0.56 (पाईन्ट छप्पन) हैक्टे., ख.नं. 1139 (एक हजार एक सौ उनतालीस) रकबा 0.01 (पाईन्ट एक) हैक्टे., ख.नं. 1140 (एक हजार एक सौ चालीस)

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.38 (पाईन्ट अडतीस) हैक्टे., ख.नं. 1141 (एक हजार एक सौ इकतालीस) रकबा 0.12 (पाईन्ट बारह) हैक्टे., ख.नं. 1142 (एक हजार एक सौ बियालीस) रकबा 0.32 (पाईन्ट बत्तीस) हैक्टे., ख.नं. 1143 (एक हजार एक सौ तियालीस) रकबा 0.27 (पाईन्ट सत्ताईस) हैक्टे., ख.नं. 1144 (एक हजार एक सौ चौवालीस) रकबा 0.17 (पाईन्ट सत्रह) हैक्टे. ख.नं. 1145 (एक हजार एक सौ पैतालीस) रकबा 0.29 (पाईन्ट उनतीस) हैक्टे., ख.नं. 1146 (एक हजार एक सौ छियालीस) रकबा 0.39 (पाईन्ट उनतीस) हैक्टे., ख.नं. 1147 (एक हजार एक सौ सैतालीस) रकबा 0.42 (पाईन्ट बियालीस) हैक्टे., ख.नं. 1148 (एक हजार एक सौ अडतालीस) रकबा 0.07 (पाईन्ट सात) हैक्टे., ख.नं. 1149 (एक हजार एक सौ उनचास) रकबा 0.20 (पाईन्ट बीस) हैक्टे., ख.नं. 1150 (एक हजार एक सौ पचास) रकबा 1.10 (एक पाईन्ट दस) हैक्टे., ख.नं. 1151 (एक हजार एक सौ इक्यावन) रकबा 0.56 (पाईन्ट छप्पन) हैक्टे, ख.नं. 1152 (एक हजार एक सौ बावन) रकबा 0.29 (पाईन्ट उनतीस) हैक्टे., ख.नं. 1153 (एक हजार एक सौ तिरेपन) रकबा 0.45 (पाईन्ट पैतालीस) हेक्टे,, ख.नं. 997 (नौ सौ सत्तानवे) रकबा 0.50 (पाईन्ट पचास) हैक्टे., ख.नं. 998 (नौ सौ अठानवे) रकबा 0.38 (पाईन्ट अडतीस) हैक्टे,, ख. नं. 999 (नौ सौ निन्यानवे) रकबा 0.33 (पाईन्ट तैतीस) हैक्टे. कुल किता 22 (बाईस) कुल रकबा 8.28 (आठ पाईन्ट अठाईस) हैक्टे, कायम फरमाया गया है। ख.नं. 1138 (एक हजार एक सौ अडतीस) रकबा 0.56 (पाईन्ट छप्पन) हैक्टे., में जारी रकबा सीट में क्षेत्रफल के मुकाबिले कमी सीट दर्शाया गया जो पैमाईश में 7 (सात) एयर कम होता है, जो क्षेत्रफल में 0.49 (पाईन्ट उनचास) हैक्टे. है। ख.नं. 1223 (एक हजार दो सौ तेबीस) का मिलान क्षेत्रफल साबिका ख.नं. 574/1 (पाँच सौ चौहेतर बटा एक) से दर्शाया गया, जबकि ख.नं. 1223 (एक हजार दो सौ तेबीस) का मिलान क्षेत्रफल साबिका ख.नं. 557/1 (पाँच सौ सत्तावन बटा एक) से बनना बताना चाहिये, प्रार्थीगण मिलान क्षेत्रफल की दुरूस्ती कराने के अधिकारी है। अप्रार्थी नं. 1 (एक) की साबिका ख.नं. 574/1 (पाँच सौ चौहेतर बटा एक) एवं ख.नं. 574/2 (पाँच सौ चौहेतर बटा दो) का रकबा मिलान क्षेत्रफल मुताबिक 22 (बाईस) बीघा 6 (छः) बिस्वा ही है, अप्रार्थी के खेत ख. नं. 1223 (एक हजार दो सौ तेबीस) का अशुद्ध अंकन बेजा किया गया है। ख.नं. 574/2 (पाँच सौ चौहेतर बटा दो) का रकबा 2 (दो) बीघा 6 (छः) बिस्वा के स्थान पर हाल ख.नं. 1220 (एक हजार दो सौ बीस), 1230 (एक हजार दो सौ तीस), 1231 (एक हजार दो सौ इकतीस), का रकबा 0.73 (पाईन्ट तिहेत्तर) हैक्टे. कायम किया गया है, जो 15 (पन्द्रह) एयर रकबा क्षेत्रफल एवं सीट अशुद्ध कायम की गई है। ख.नं. 1150 (एक हजार एक सौ पचास) के दक्षिणी सिरा पूर्व पश्चिम सीट के मुताबिक 68 (अडसठ) मीटर है, मौके पर 58 (अठावन) मीटर है, जबकि ख.नं. 1223 (एक हजार दो सौ तेबीस) को अप्रार्थी का माना जाने पर और भी रकबा कम हो जावेगा, सही बात तो यह है कि ख.नं. 1150 (एक हजार एक सौ पचास) एवं 1223 (एक हजार दो सौ तेबीस) एवं ख.नं. 1224 (एक हजार दो सौ चौबीस) का पश्चिम भाग उत्तर दक्षिण प्रार्थीगण का अप्रार्थी की ओर निकलता है, मौके पर कदीम से 5–6 (पाँच–छः) फिट ऊंची पाल (डोल) बनी हुई है, साथ ही सैटलमेन्ट अधिकारीगण द्वारा ख.नं. 1223 (एक हजार दो सौ तेबीस) को बेजा तरीके से प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 1150 (एक हजार एक सौ पचास) में दबाकर कायम कर झगड़ा उत्पन्न किया गया है, जो किसी भी कदर चलने योग्य नहीं है।

प्रार्थीगण के विरूद्ध अप्रार्थी ने झूठा दावा स्थायी निषेधाज्ञा का हाल ख.नं. 1223 (एक हजार दो सौ तेबीस) के अशुद्ध अंकन की ओर से न्यायालय श्रीमान् में कर रखा है। इस पर उक्त अशुद्ध अंकित रेवेन्यू रिकॉर्डमय सीट की जानकारी प्राथीगण को पैमाईश कराने

Scanned with OKEN Scanner

पर आयी है। इस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से ख.नं. 1223 (एक हजार दो सौ तेबीस) की दुरुस्ती एवं सीट मिलान क्षेत्रफल की कही तो अप्रार्थी नं. 1 (एक) स्पष्ट इन्कार हो गया, ऐसी सूरत में वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा जानकारी मिलने पर अन्दर मियाद पेश है। सेटलमेन्ट अधिकारी, कर्मचारीगण के द्वारा प्रार्थीगण के रेवेन्यू रिकॉर्ड साथिका से भिन्न जाकर गलत अशुद्ध सीट मिलान क्षेत्र रकबा कायम फरमाया गया। प्रार्थीगण दुरूस्ती रेवेन्यू रिकॉर्ड सीट जमाबन्दी में कराने की अधिघोषणा कराने के मुश्तहक है, इसी बाबत ख.नं. 1151 (एक हजार एक सौ इक्यावन) रकबा 0.56 (पाईन्ट छप्पन) हैक्टे. , जो सीट में मात्र. 51 (इक्यावन) एयर बैठता है, जबकि वास्तव में 5 (पाँच) एयर कम है, ख.नं. 1153 (एक हजार एक सौ तिरेपन) रकबा 0.45 (पाईन्ट पैतालीस) हैक्टे, जबकि सीट मात्र 0.42 (पाईन्ट बियालीस) हैक्टे. ही है, जो करीब 3 (तीन) एयर कमी का अन्तर है, इस प्रकार कुल 0.15 (पाईन्ट पन्द्रह) हैक्टे, की सीट में कमी सिद्ध है। ख.नं. 1150 (एक हजार एक सौ पचास) का क्षेत्रफल 1.10 (एक पाईन्ट दस) हैक्टे, जबकि मौके पर पूर्व की ओर आरपार 15 (पन्द्रह) एयर भूमि प्रार्थीगण के हक हिस्से की बनती है। जिस स्थान पर ख.नं. 1223 (एक हजार दो सौ तेबीस) रकबा 0.13 (पाईन्ट तेरह) एयर अप्रार्थीगण के हक में अशुद्ध बेजा हाल सेटलमेन्ट में कायम कर विवाद उत्पन्न कर दिया है। प्रार्थीगण रेवेन्यू सीट की दुरूस्ती कराकर ख.नं. 1150 (एक हजार एक सौ पचास) में 0.15 (पाईन्ट पन्द्रह) हैक्टे. भूमि और दुरुस्ती कराने के हकदार है, साथ ख.नं. 1223 (एक हजार एक सौ तेबीस) के इन्द्राज अप्रार्थी नं. 1 (एक) का हजफ फरमाकर प्रार्थीगण की खातेदारी रेवेन्यू रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जाने हेतु वाद पत्र पेश किया जा रहा है। ख.नं. 1149 (एक हजार एक सौ उनचास) सम्पूर्ण एवं ख.नं. 1151 (एक हजार एक सौ इक्यावन) दक्षिणी मौके पर एक खेत है, दोनो ख.नं. की चौडाई पूर्व पश्चिम 80 (अस्सी) मीटर सीट के मुताबिक होनी चाहिये, जबकि मौके पर मात्र 63 (तिरेसठ) मीटर के लगभग ही बैठती है, 17 (सत्रह) मीटर पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण लम्बाई 44 (चौवालीस) मीटर के रकबे में कमी 18 (अठारह) एयर की बनती है, जो प्रार्थीगण की भूमि अप्रार्थीगण के खेत ख.नं. 1224 (एक हजार दो सौ चौबीस) में दबी हुई है, ख.नं. 1224 (एक हजार दो सौ चौबीस) गलत शुमार कर रखीर है, जो प्रार्थीगण प्राप्त करने के के रकबे अधिकारी है। ख.नं. 1146 (एक हजार एक सौ छियालीस) प्रार्थीगण को दक्षिणी सिरे से दबाकर ख.नं. 1224 (एक हजार दो सौ चौबीस) अप्रार्थीगण के खेत में अधिक कायम कर दिया, वह रकबा भी करीब 4 (चार) एयर भूमि प्रार्थीगण के अप्रार्थी के खेत ख.नं. 1284 (एक हजार दो सौ चौरासी) में गलत दर्शा रखी है, प्रार्थीगण रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरूस्ती कराने के अधिकारी है। ख.नं. 1149 (एक हजार एक सौ उनचास), 1150 (एक हजार एक सौ पचास), की उत्तर दक्षिण लम्बाई मुताबिक सीट 160 (एक सौ साठ) मीटर बनती है, जबकि मौके पर मात्र 153 (एक सौ तिरेपन) एयर है, 7 (सात) मीटर रकबा प्रार्थीगण का अप्रार्थी के खेत ख.नं. 1228 (एक हजार एक सौ अठाईस), में गलत शुमार कर दिया गया है। क्षेत्रफल के मुताबिक सीट अशुद्ध कायम फरमायी गयी, प्रार्थीगण सीट की दुरूस्ती करवाने के हकदार है। दिनांक 12.03.2014 (बारह मार्च दो हजार चौदह) को अप्रार्थी नं. 01 (एक) ने ख.नं. 1223 (एक हजार दो सौ तेबीस), में वादी का काश्त गेहूँ फसल की कटाई करने की एलानियां धमकी देने से वाद कारण उत्पन्न होने पर उक्त उनवानी दावा सं. 57/17 (सत्तावन बटा सत्रह), दावा मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय हाजा चके समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। लेकिन दिनांक 21.02.2018 (इक्कीस फरवरी दो हजार अठारह) को अदम हाजिरी च अदम पैरवी में वाद पत्र तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सं. ..... खारिज फरमा दिया गया था।

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र वाजदायरी (Restoration) माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया, जिसमें प्रतिवादीगण की तामिल हो चुकी है। विवादित ख.नं. 1223 (एक हजार दो तेबीस) में प्रार्थीगण की वर्तमान में बाजरे की फसल काश्त है, जो सरसब्ज होकर पककर तैयार हो गई है। जिसे अप्रार्थी सं. 1 (एक) दिनांक 08.09.2018 (आठ सितम्बर दो हजार अठारह) को काटने पर आमादा हो गया। अप्रार्थी सं. 1 (एक) अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को नुकसान अजीम नाकाबिले तायून व तकमीना होगा, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार संभव नहीं हो सकेगी। इसलिये यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना जरूरी हुआ है। अप्रार्थी नं. 1 (एक) कतई हक अधिकार नहीं है कि साबिक ख.नं. 557/1 (पाँच सौ सत्तावन बटा एक) की जगह अशुद्ध कायम नवीन ख.नं. 1223 हजार दो तेबीस) की ओट में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी उत्पन्न करें, प्रार्थीगण को बेदखल करे व आराजी के उपयोग–उपभोग में मजाहमत करने की सूरत में तथा प्रार्थीगण की पाल डोल के भीतर खेत ख.नं. 1150 (एक हजार एक सौ पचास) व अप्रार्थी के ख.नं. 1224 (एक हजार दो सौ चौबीस) में मजाहमत मदाखलत उत्पन्न कर वजह अशुद्ध अंकित के ख.नं. 1223 (एक हजार दो सौ तेबीस) की ओट में करने से अप्रार्थी सं. 01 (एक) जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना न्याय हित में जरूरी है।

प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त बमुकाबले अप्रार्थी, प्रार्थीगण के हक में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जायें कि प्रार्थीगण के कब्जे, काश्त हाल अशुद्ध कायमशुदा ख.नं. 1223 (एक हजार दो सौ तेबीस) में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की दखलन्दाजी किये जाने से उपयोग–उपभोग प्रार्थीगण में मजाहमत उत्पन्न करने से प्रतिबन्धित फरमाया जावें, प्रार्थीगण की पाल डोल के भीतर खेत ख.नं. 1150 (एक हजार एक सौ पचास) व अप्रार्थी के ख.नं. 1224 (एक हजार दो सौ चौबीस) में मजाहमत मदाखलत उत्पन्न कर वजह अशुद्ध अंकित के ख.नं. 1223 (एक हजार दो सौ तेबीस) की ओट में करने से अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलवी अप्रार्थीगण की गई अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश नही किया गया अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब बन्द कर प्रकरण बहस पर नियत किया गया प्रकरण में बहस सुनी गयी प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान वादग्रस्त भूमि साबिक ख.नं. 574/1 अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि रही है तथा उक्त साबिक नम्बर से ही वर्तमान खसरा नं. 1223 व 1224 व अन्य खसरा नं. बने है। जिसमें प्रार्थीगण खातेदार नही है इसी खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरणो का निस्तारण निम्नाकित 3 बिन्दुओं के आधार पर किया जाता है।

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

Scanned with OKEN Scanner

प्रथम दृष्टया मामला :– प्रार्थी का मूल कथन है कि साबिक खं. नं. 557/1 की जगह अशुद्ध कायम नवीन खं. नं. 1223 की ओट में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने से अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। भूमि साबिक ख.नं. 574/1 अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि रही है तथा उक्त साबिक नम्बर से ही वर्तमान खसरा नं. 1223 व 1224 व अन्य खसरा नं. बने है। जिसमें प्रार्थीगण खातेदार नही है इसी खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रकरण में मूल दावा वाद दुरूस्ती का है जिसका निर्णय पर्याप्त साक्ष्य/सबुतो के आधार पर किया जाना है इस स्थिति में भूमि का स्वरूप बदलने की सभावना रहती है इसलिए मूल वाद का निर्णय होने तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे साबित है।

2. सुविधा का संतुलन, 3. अपूरणीय क्षति :– उक्त दोनो बिन्दुओं का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एकसाथ किया जा रहा है। अस्थायी निषेधाज्ञा के मामले मे यदि कोई पक्ष प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहता है तो उक्त दोनो बिन्दु भी उसी के पक्ष मे तय होते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर ग्राम झुपडीन तहसील बांदीकुई के खं.नं. 1223,1150,1224 मे मूल वाद रघुवीर बनाम भम्बल वगै. मुकदमा नम्बर 177/2018 का निर्णय होने तक मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। प्रकरण फैसल शुमार होकर। मूल वाद के हमफिता हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 13.10.2025 को आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/10/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner